



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
भारत न्यूज	23-11-24	4	2-3

मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना भी जरूरी : प्रो. काम्बोज समानता व समरसता विषय पर एक कार्यक्रम

भारत न्यूज | हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बीआर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप



हकूति में आयोजित गोष्ठी में उपस्थित कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज

से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत किया। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दिनिक जागरण	23-11-25	2	2-6

'मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना व पालन करना भी जरूरी'

जागरण संवाददाता • हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डा. बीआर आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा कि भारतीय



कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या

किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक दूसरे का

हकूति में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनूठा उदाहरण बनाती है। मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों

पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डा. पवन कुमार ने बताया कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 से आरंभ होकर अबतक वर्ष भर चलने वाले मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डा. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया।



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हरि न्यूज	23-11-25	9	3-6

समरसता भारतीय समाज की पहचान : प्रो. काम्बोज

■ हकूति में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' पर कार्यक्रम आयोजित

हरिगूमि न्यूज » हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बीआर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत



हिसार। कार्यक्रम को संबोधित करते कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज।

सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहें। कुलपति प्रो. काम्बोज ने कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में

समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि

माफ़ी मांगनी चाहिए

मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत किया। कैपस स्कूल से काजल व राजकीय स्कूल, हिसार से छात्रा तन्वू ने संविधान पर अपने विचार रखे। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा माव्यश्री ने किया।

जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो।



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	23-11-25	2	7-8

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना जरूरी: प्रो. काम्बोज

हकूति में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित हिसार, 22 नवम्बर (ब्यूरो): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी. आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे।



कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने

कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। कुलपति ने कहा कि वे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक ने केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निष्ठा पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम

दिनांक

पृष्ठ संख्या

कॉलम

समाचार पत्र का नाम

23-11-23-

5

1-2

संविधान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक एकता का प्रतीक : प्रो. कांबोज

संवाद न्यूज एजेंसी

एचएयू में हमारा संविधान-हमारा
स्वाभिमान के तहत कार्यक्रम

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान : समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कांबोज ने कहा कि भारतीय संविधान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों व सामाजिक एकता का प्रतीक है। अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान करता है। मुख्य वक्ता कर्नल पाटिल ने कहा कि संविधान केवल

दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है। यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है।

कुलसचिव डॉ. पवन कुमार ने बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे वर्ष हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान थीम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। काजल (कैंपस स्कूल) और तनू (राजकीय स्कूल, हिसार) ने भी संविधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया और धन्यवाद मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने प्रस्तुत किया।



चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
उजियत समाचार	23.11.25	5	3-5

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना जरूरी : प्रो. काम्बोज

हकूति में हमार संविधान- हमार स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

हिसार, 22 नवम्बर (विरेन्द्र वर्मा): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का



कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। कुलपति ने कहा कि वे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि

अपने कर्तव्यों का भी निष्ठा पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करे। मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सिटी पल्स न्यूज	22.11.2025	--	--

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना जरूरी : प्रो. बीआर कांबोज

सिटी पल्स न्यूज, हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज कांबोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे।

कुलपति ने कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और



समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से

सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनूठा उदाहरण बनाती है।

मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल

एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों

को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 से आरंभ होकर अबतक वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम जैसे संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर जी की भूमिका एवं प्रभाव, राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम, डॉ. अंबेडकर जी का राष्ट्रीय चिंतन, संविधान स्वाभिमान यात्रा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गये। वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का आज सफलतापूर्वक समापन पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
जगमार्ग न्यूज	22.11.2025	--	--

कार्यक्रम

‘संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक’

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना जरूरी: प्रो. कांबोज

⇒ हकूति में हमारा
संविधान-हमारा
स्वाभिमान के तहत
‘भारतीय संविधान:
समानता व समरसता’
विषय पर कार्यक्रम
आयोजित

जगमार्ग न्यूज

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के तहत ‘भारतीय संविधान: समानता व समरसता’ विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र,



सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल अशोक पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का

आव्हान देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनूठा उदाहरण बनाती है। कुलपति ने कहा

कि ये संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निष्ठा पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। मुख्य वक्ता कर्नल अशोक पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
नभ छोर	22.11.2025	--	--

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना जरूरी: प्रो. बी.आर. काम्बोज

हिसार: 22 नवम्बर

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम अहर्गोर्जित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय,

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज वही है जहां नागरिक एक-दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनुष्ठान उदाहरण बनाती है। कुलपति ने कहा कि ये संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निष्ठा पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण,

ऐतिहासिक और दूरदर्शी योगदान माना जाता है उन्होंने संविधान के प्राण को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधानों का मार्ग प्रशस्त किया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पवन कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 से आरंभ होकर अबतक वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम जैसे संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर जी की भूमिका एवं प्रभाव, राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम, डॉ. अंबेडकर जी का राष्ट्रीय चिंतन, संविधान स्वाभिमान यात्रा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गये। वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का आज सफलतापूर्वक समापन पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी संविधान में प्रदत्त किए गए सभी प्रावधानों तथा अनुच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पाठकपक्ष न्यूज	23.11.2025	--	--

हकूति में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना ज़रूरी : प्रो. बी.आर. काम्बोज

-पाठकपक्ष न्यूज-

हिसार, 23 नवम्बर : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान के तहत 'भारतीय संविधान: समानता व समरसता' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे।

कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता का अधिकार हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान व्यवहार और समान अवसर का आश्वासन देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्वय या असमानता न हो। उन्होंने बताया कि



समरसता भारतीय समाज की पहचान है और संविधान इसे विशेष रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना के माध्यम से सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज घड़ी है जहाँ नागरिक एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारे व सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं। यही भावना भारत को विविधताओं में एकता का अनूठा उदाहरण बनाती है। कुलपति ने कहा कि वे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। संविधान का सम्मान तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी निष्ठ पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वक्ता कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भारतीय लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने संविधान में

प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है तथा सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और दूरदर्शी योगदान माना जाता है उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधानों का मार्ग प्रशस्त किया।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉ. एबन कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 से आरंभ लेकर

अबतक वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम जैसे संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर जी की भूमिका एवं प्रभाव, राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम, डॉ. अंबेडकर जी का राष्ट्रीय चिंतन, संविधान स्वाभिमान यात्रा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गये। वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का आज सफलतापूर्वक सम्पन्न पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी संविधान में प्रदत्त किए गए सभी प्रावधानों तथा अनुच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। विश्वविद्यालय के कैपस स्कूल से कबजल व राजकीय स्कूल, हिसार से छात्रा तन्नु ने संविधान पर अपने विचार रखे। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। मंच का संचालन छात्रा भाग्यश्री ने किया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।